

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एल.आर./2829/2006/डूंगरपुर W/R सरकार बनाम शांतिलाल	नम्बर व तारीख
	न्यायालय - राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर एकलपीठ श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य उपस्थित - अर्चना गौतम, उप राजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं -निर्णय- दिनांक:-15-04-2026 हस्तगत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 22-02-2006 से राजस्व मण्डल को अभिशंषित करते हुए प्रेषित किया गया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार, सीमलवाड़ा ने धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम गोरादा के हाल खसरा नम्बर 264 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा गत् सेटलमेंट संवत् 2008 में खसरा नम्बर 765 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा किस्म नदी अंकित थी। उक्त भूमि में से हाल खसरा नम्बर 264 रकबा 9 बीघा भूमि भू-प्रबन्ध के दौरान संवत् 2014 में अप्रार्थी श्री शांतिलाल के पिता सोमा मीणा के नाम दर्ज कर दी गई। जो नियम विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। गै0मु0 अंगोर/ नदी/ नाला/ तालाब/जल प्रवाह भूमि धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र को दर्ज रजिस्टर कर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 22-02-2006 से विवादित आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी से हटाई जाकर पुनः राजकीय खाते में गैर मुमकिन नदी राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने हेतु यह रेफरेन्स मण्डल को प्रेषित किया गया है। विपक्षी को जरिये नोटिस दिनांक 03.09.2007 को न्यायालय में दिनांक 15.06.2007 को हाजिर हेतु जारी किया गया। जोकि बाद तामिल प्राप्त होने के उपरांत भी अप्रार्थी के न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर अंतिम रूप से रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। इस पर यह उपधारणा की जाती है कि विपक्षी को नोटिस प्राप्त हो चुके हैं पर उपस्थित नहीं होने से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एल.आर./2829/2006/डूंगरपुर W/R सरकार बनाम शांतिलाल	नम्बर व तारीख
	विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी ने रेफरेन्स के तथ्यों का उल्लेख करते हुए कथन किया कि प्रश्नगत आराजी पूर्व में राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 नदी दर्ज थी। गै0मु0 अंगोर, नदी-नाले, पोखर आदि की भूमि धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 02-08-2004 में निर्देश प्रदान किये हैं जिसके अनुसार भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिशंषित रेफरेन्स प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में है, जिसे स्वीकार किया जाये। हमने विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम गोरादा स्थित हाल खसरा नम्बर 264 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि किस्म गैरमुमकिन नदी जमाबन्दी संवत् 1999 से 2008 में दर्ज रिकार्ड रही थी। उक्त भूमि में से हाल खसरा नम्बर 264 रकबा 9 बिस्वा भूमि भू-प्रबन्ध के दौरान संवत् 2014 में अप्रार्थी श्री शांतिलाल के पिता सोमा मीणा के नाम दर्ज कर दी गई, जो नियम विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। विवादित आराजी की किस्म पूर्व में गै0मु0 नदी रही है। राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार “गैर मुमकिन अंगोर, नदी-नाला” किस्म की भूमि ना तो आवंटन/नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (प) निम्न प्रकार है:- “4. Land not available for allotment under these rules.- The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely- (i) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955" इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधान निम्न प्रकार है:- 16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.- Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in-	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एल.आर./2829/2006/इंगरपुर सरकार बनाम शांतिलाल W/R	नम्बर व तारीख
	(i) Pasture Land (ii) Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank; विवादग्रस्त भूमि पूर्व में राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 नदी की भूमि अंकित होने से धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है। अतः इस प्रकार की भूमियां न तो तहत किन्हीं व्यक्तियों को निजी आवंटन/नियमन की जा सकती है और ना ही ऐसी भूमि में निजी खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2-8-2004 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये हैं:- <i>All land shown as drainage channels like nalla rivers, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly.</i> इस प्रकार उक्त न्यायिक दृष्टान्त के परिप्रेक्ष्य में भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, इंगरपुर द्वारा मण्डल को संबंधित विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में रेफरेन्स किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक भूल व त्रुटि नहीं की है। “इन भूमियों को प्राकृतिक रूप से सुरक्षित करने का उद्देश्य मनुष्य जीवन को संरक्षित करने के समान है।” अतः रेफरेन्स स्वीकार योग्य पाया जाता है। परिणामतः राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत यह रेफरेन्स एकपक्षीय रूप से स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी गत् खसरा नम्बर 765 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 264 में से रकबा 9 बिस्वा भूमि वाके ग्राम गोरादा से अप्रार्थी की खातेदारी निरस्त की जाती है तथा अप्रार्थी के खाते में अंकित उक्त विवादग्रस्त आराजी को पूर्व राजस्व रिकार्ड अनुसार बिला नाम सरकार गैर मुमकिन नदी दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों को अभिलेख अविलम्ब भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (राजेश कुमार दड़िया) सदस्य	

